KANPUR DEHAT POLICE

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य **दिनांक 11 जुलाई 2026**

"साइबर अपराधियों के खिलाफ कानपुर देहात पुलिस का बड़ा एक्शन"

पुलिस अधीक्षक महोदया के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी व सेक्स्टॉर्शन गिरोह के कुल 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया, जनपद कानपुर देहात श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के कुशल निर्देशन में जनपद में साइबर धोखाधड़ी पर रोकथाम एवं साइबर अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व समस्त क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में साइबर अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु साइबर सेल/सर्विलांस व विभिन्न थानों की पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन कर लगाया गया तथा विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत साइबर हॉटस्पॉट्स को चिन्हित कर पुलिस टीम द्वारा रेड की गयी। इसी क्रम में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए **थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों (कुल 10 साइबर ठगी व सेक्स्टॉर्शन गिरोह के अभियुक्तों)** को गिरफ्तार किया गया है। प्रचलित अभियान के अन्तर्गत जनपद में निरंतर साइबर अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है:-

1. थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता-

1. सूरज पुत्र हरिमोहन निवासी ग्राम ज्योतिष थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
2. राजेश कुमार पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम ज्योतिष थाना अकबरपुर कानपुर देहात।

बरामदगी-

07 मोबाइल, 05 सिम कार्ड व 1500 रुपये नकद,

2. थाना गजनेर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. शिवम पुत्र लालबहादुर, निवासी ग्राम कैलाश नगर, थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात।
2. रजनीश सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम विजय नगर, थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात।
3. हरिओम पुत्र रामप्रताप, निवासी ग्राम चन्द्रनगर, थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात।
4. राहुल सिंह पुत्र मानसिंह, निवासी ग्राम फत्तेपुर रोशनाई, थाना रनियां, जनपद कानपुर देहात।
5. गोरे पुत्र स्व0 राजन सिंह, निवासी ग्राम विजय नगर, थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी-

कुल 11 मोबाइल, 05 सिम कार्ड व कुल ₹9,200/- नकद बरामद।

थाना रनियां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता-

1. अंकित चौहान पुत्र आलोक, निवासी आर्य नगर प्रथम, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात।
2. सर्वेश पुत्र आलोक चौहान, निवासी आर्य नगर प्रथम, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात।
3. जय सिंह उर्फ चुम्मी पुत्र राजित उर्फ सजीत, निवासी आर्य नगर प्रथम, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी-

कुल 05 मोबाइल, कुल ₹3,700/- नकद तथा 01 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल UP 77 AA 9335 (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

संयुक्त पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगणों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे साइबर ठगी का कार्य करते हैं। वे अपने-अपने मोबाइल फोन से लोगों को फोन कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, धनराशि दोगुनी कराने का लालच देते थे। इसके अतिरिक्त स्वयं को पुलिस अथवा विजिलेंस अधिकारी बताकर लोगों को अश्लील/पोर्नोग्राफी वीडियो देखने का झूठा आरोप लगाकर भयभीत करते थे तथा जेल भेजने की धमकी देकर उनसे रूपयों की मांग करते थे। इस प्रकार छल-कपट एवं प्रलोभन देकर लोगों को भ्रमित कर ऑनलाइन माध्यम से रूपये प्राप्त कर लेते थे। पीड़ितों से सीधे बैंक खाते में धनराशि न मंगाकर, 'महादेव ऐप', 'अन्ना रेड' एवं 'इस्टामैच' जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की फर्जी आईडी के QR कोड भेजकर धनराशि ट्रांसफर कराते थे, जिसे बाद में नकद निकालकर आपस में बांट लेते थे तथा गिरफ्तारी से बचने एवं लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए लगातार सिम कार्ड बदल-बदलकर अपराध कारित करते थे। अभियुक्तगणों ने स्वीकार किया कि वे अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

क्र0 सं0	नाम व पता अभियुक्त	संबंधित अभियोग
1.	सूरज पुत्र हरिमोहन निवासी ग्राम ज्योतिष थाना अकबरपुर कानपुर देहात उम्र करीब 19 वर्ष	मु0अ0सं0 0285/2026 धारा 318(4)/308(1)/111(1) बीएनएस व 66 D आईटी एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
2.	राजेश कुमार पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम ज्योतिष थाना अकबरपुर कानपुर देहात उम्र करीब 33 वर्ष	मु0अ0सं0 0285/2026 धारा 318(4)/308(1)/111(1) बीएनएस व 66 D आईटी एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
3.	शिवम पुत्र लालबहादुर निवासी ग्राम कैलाश नगर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 21 वर्ष	मु0अ0सं0 159/2026 धारा 318(4)/308(1)/111(1) बीएनएस व 66 D आईटी एक्ट थाना गजनेर कानपुर देहात
4.	रजनीश सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम विजय नगर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 22 वर्ष	मु0अ0सं0 159/2026 धारा 318(4)/308(1)/111(1) बीएनएस व 66 D आईटी एक्ट थाना गजनेर कानपुर देहात
5.	हरिओम पुत्र रामप्रताप निवासी ग्राम चन्द्रनगर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष	मु0अ0सं0 159/2026 धारा 318(4)/308(1)/111(1) बीएनएस व 66 D आईटी एक्ट थाना गजनेर कानपुर देहात

6.	राहुल सिंह पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम फत्तेपुर रोशनाई थाना रनियां जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष	मु0अ0सं0 159/2026 धारा 318(4)/308(1)/111(1) बीएनएस व 66 D आईटी एक्ट थाना गजनेर कानपुर देहात
7.	गोरे पुत्र स्व0 राजन सिंह निवासी ग्राम विजय नगर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 24 वर्ष	मु0अ0सं0 159/2026 धारा 318(4)/308(1)/111(1) बीएनएस व 66 D आईटी एक्ट थाना गजनेर कानपुर देहात
8.	अंकित चौहान पुत्र आलोक, निवासी आर्य नगर प्रथम, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात	मु0अ0सं0 0114/2026 धारा 317(2), 318(4), 308(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 एवं धारा 66D आईटी एक्ट, थाना रनियां जनपद कानपुर देहात
9.	सर्वेश पुत्र आलोक चौहान, निवासी आर्य नगर प्रथम, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात।	मु0अ0सं0 0114/2026 धारा 317(2), 318(4), 308(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 एवं धारा 66D आईटी एक्ट, थाना रनियां जनपद कानपुर देहात
10.	जय सिंह उर्फ चुम्मी पुत्र राजित उर्फ सजीत, निवासी आर्य नगर प्रथम, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात।	1. मु0अ0सं0 203/2024 धारा 308(7)/318(4)/319(2) बीएनएस, 66C/66D आईटी एक्ट थाना रनियां जनपद कानपुर देहात। 2. मु0अ0सं0 0114/2026 धारा 317(2), 318(4), 308(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 एवं धारा 66D आईटी एक्ट, थाना रनियां जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अकबरपुर मय टीम
2. थानाध्यक्ष गजनेर मय टीम
3. थानाध्यक्ष रनियां मय टीम
4. सर्विलांस/साइबर सेल टीम